सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 39/2017 अपील
पंजीयन दिनांक – 12.06.2017
निर्णय दिनांक – 21.03.2018

1. श्रीमती पन्ना कुंवर पत्नि वगत सिंह जी राजपुत, निवासी मजावडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
2. श्री चमन सिंह पिता रायसिंह राजपुत, निवासी मजावडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
3. श्रीराम सिंह पिता रासिंह जी राजपुत, निवासी मजावडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
4. श्रीमती तोला कुंवर पुत्री रायसिंह जी राजपुत पत्नी मोहन सिंह जी राजपुत, निवासी घासा (लिम्बौ का गुडा), तहसील मावली जिला उदयुपर
5. श्रीमती केसर कुंवर पुत्री रायसिंह जी राजपुत पत्नी केसर सिंह जी राजपुत, निवासी घासा (लिम्बौ का गुडा), तहसील मावली जिला उदयुपर
6. श्रीमती देउ कुंवर पुत्री रायसिंह जी राजपुत पत्नी राम सिंह जी राजपुत, निवासी घासा (लिम्बौ का गुडा), तहसील मावली जिला उदयुपर
7. श्री भीम सिंह पिता तेज सिंह राजपुत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
8. श्री दिलीप सिंह पिता भीम सिंह राजपुत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
9. श्रीमती लच्छु कुंवर पुत्री भीम सिंह राजपुत, निवासी मन्देरिया, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

– **अपीलान्टस्**

बनाम

1. श्री प्रताप सिंह पिता रूपसिंह जी राजपुत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री मोड सिंह पिता रूप सिंह जी राजपुत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

3. श्री खुमाण सिंह पिता रूप सिंह राजपुत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्री भंवरसिंह पिता देवी सिंह राजपुत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. श्री सोहनसिंह पिता देवी सिंह राजपुत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
6. श्री प्रताप सिंह पिता देवी सिंह राजपुत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर प्रकरण संख्या 15/2014, निर्णय दिनांक 17.05.2017 (नामान्तरण संख्या 239 ग्राम पंचायत देबारी दिनांक 16.03.1964)

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र सोनी – वकील अपीलान्ट
2. श्री विजय कुमार ओस्तवाल – वकील ररेस्पोंडेन्ट संख्या–1 से 4 व 6

निर्णय

दिनांक 21–03–2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर प्रकरण संख्या 15/2014, निर्णय दिनांक 17.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत देबारी द्वारा ग्राम देबारी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में स्थित जमीन के सम्बन्ध में नामान्तरण संख्या 239 दिनांक 16.03.1964 में खोला गया। उक्त नामान्तरण के विरूद्ध अपीलान्ट ने प्रथम अपील उप जिला कलक्टर न्यायालय, गिर्वा में पेश की। उप जिला कलक्टर, 'गिर्वा ने अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का आदेश दिया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित, वकील रेस्पोंडेंट उपस्थित नहीं होने से वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस दिनांक 05.03.2018 को सुनी गई तथा वकील रेस्पोंडेंट को लिखित बहस पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। वकील रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि नामान्तरकरण खातेदार श्री भैरूसिंह जी पिता प्रेमसिंह जी राजपुत की मृत्यु उपरान्त विरासत से खोला गया नामान्तरकरण है तथा मृतक भैरूसिंह जी के विधिक वारीसान मौजुद होते हुए अन्य व्यक्तियों के नाम पर नामान्तरकरण बिना विधिक वारीसान को सूचना दिये गुप्त रूप से गलत तरीके से खोला गया जो नामान्तरकरण प्रारम्भतः शुन्य होकर ऐसे नामान्तरण के आधार पर रेस्पोडेंट एवं उनके पिता श्री रूपसिंह व श्री देवी सिंह जी राजपुत को कोई हक व अधिकार पैदा नहीं होते है। श्री भैरूसिंह जी के विधिक वारीसान में उनकी पुत्री अपीलान्ट श्रीमती पन्ना कुंवर एवं श्रीमती राज कुंघर जीवित थी तथा भैरूसिंह जी की पत्नि श्रीमती नाथी बाई भी जीवित थी तथा इस प्रकार मृतक भैरूसिंह जी के हिन्दु उत्तराधिकार के तहत प्रथम श्रेणी के वारीसान मौजुद होते हुए दिगर व्यक्तियों श्री रूपसिंह व श्री देवीसिंह जो कि भैरूसिंह के वारीसान नहीं है उनके नाम पर गलत तरीके से नामान्तरकरण खोल दिया गया है जबकि नामान्तरकरण खोले जाने के वक्त यह तथ्य सामने आ चुका था कि भैरूसिंह जी पत्नी मोजुद है पुत्रियां भी मोजुद है, उसमें बावजुद भी उनको बिना सूचना दिये गुप्त तरीके से दिगर व्यक्तियों के नाम नामान्तरकरण खोल दिया जो नामान्तरकरण गैरकानूनी होकर प्रारम्भतः शुन्य प्रभावी है। ग्राम पंचायत द्वारा मृतक भैरूसिंह जी के नेचुरल वारीसान मोजुद होते हुए नामान्तरकरण गलत खोला गया तथा ऐसे गलत एवं अवैध नामान्तरकरण को निरस्त करने की कोई मियाद नहीं है न ही हो सकती है उसके बावजुद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानुनी स्थिति को समझे बिना जल्दबाजी में निर्णय प्रदान किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अन्त में वकील अपीलान्ट ने न्यायिक दृष्टान्त, आर.आर.टी. 2013(1) पेज 436, आर. आर.टी. 2013(1) पेज 447, आर.आर.टी. 2014(Supp) पेज 459, आर.आर.टी. 2014(Supp) पेज 417 पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट्स के लिखित बहस के मुख्य तर्क यह है कि कथित नामान्तरकरण खोले जाने के पूर्व ग्रम पंचायत एवं पटवारी द्वारा जांच करने के उपरान्त ही सभी पक्षकारों को सूचना देकर और उन्हें सुनकार कथित नामानतरकरण स्वीकृत किया गया है। जिसे अब 50 वर्ष के बाद समरी प्रोसिंडिग की जरिये चेलेंज नहीं किया जा सकता है। उक्त नामान्तरकरण के बाद कई नामान्तरकरण हो चुके है और अभी वर्तमान जमाबंदी के सभी खातेदारों को भी इस मामले में पक्षकार नहीं बनाये गये है, जबकि ये आवश्यक पक्षकार हैं। ऐसी स्थिति में कथित नामान्तरकरण को 50 वर्ष बाद समरी प्रेसिडिंग के जरिये चेलेंज कर अपीलान्ट कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलान्ट चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर करा दाद प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम में यह बताया कि नामान्तरकरण खोले जाने की जानकारी दिनांक 10.06.2014 को हुई। जो पूर्णतया गलत है। जबकि नामान्तरकरण 50 वर्ष पहले खोला गया है और अपीलान्ट का यह कहना कि कृषि भूमि से अपना जीवन यापन कर रही है पूर्णतयाा गलत है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोंडेन्टगण का कब्जा होकर उक्त आराजीयात रेस्पोंडेन्ट के स्वामित्व एवं आधिपत्य में है। और यह भी बताया गया कि उपखण्ड़ अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में पक्षकारान के मध्य रेग्युलर वाद विचाराधीन है, जिससे समरी प्रोसिडिंग के जरिये पक्षकारों के हित एवं अधिकारों को तय नहीं किया जा सकता है। अन्त में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में 2015 D N J (Revenue) पेज 202 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकर से स्पष्ट है कि श्री भैरूसिंह जी के विधिक वारीसान में उनकी पुत्री अपीलान्ट श्रीमती पन्ना कुंवर एवं श्रीमती राज कुंवर जीवित थी तथा भैरूसिंह जी की पत्नि श्रीमती नाथी बाई भी जीवित थी तथा इस प्रकार मृतक भैरूसिंह जी के हिन्दु उत्तराधिकार के तहत प्रथम श्रेणी के वारीसान मौजुद होते हुए दिगर व्यक्तियों श्री रूपसिंह व श्री देवीसिंह जो कि भैरूसिंह के वारीसान नहीं है उनके नाम पर नामान्तरकरण खोल दिया गया है, जबकि नामान्तरकरण खोले जाने के वक्त सभी विधिक वारिसों को सूचना दी जाकर सभी को सुनकर नामान्तरकरण पारित किया जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में पारित नामान्तरकरण संख्या 239 दिनांक 16.03.1964 स्वीकृत करते समय पक्षकारों को सूचना दिये बगैर पारित किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। जिससे हम प्रकरण पुनः न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, गिर्वा को सभी विधिक वारिसों एवं वादग्रस्त भूमि के सभी खातेदारों को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड़ अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि स्व. श्री भेरुसिंह के सभी विधिक वारिसों एवं वादग्रस्त भूमि के सभी खातेदारों को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर